

PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING GH-4 SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP AT BAGHAMAU VILLAGE ,LUCKNOW

KEYPLAN:



प्रतिबन्ध

1 शासन पत्र दिनांक 30.08.2017 के अनुक्रम पर्यावरण विभाग की अनापत्ति शीघ्र लगा न करने एवं लेबर सेस के सम्बन्ध में अनुपालन न किये जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

2 भू-स्थानिक तथा भूमि उपयोग/विकास के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता अंकित उक्त भूमि पर विक्रय/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व उक्त खसरा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पास में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विक्रय कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्वितन/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।

3 वातिण शासनादेश के क्रम में लैण्ड यूजीविंग भाग के अनुसार ज्ञापनोत्तम अभियोग होगा।

4 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूखण्ड विक्रेती निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

5 लैण्ड यूजीविंग भाग व सर्विसेज भाग के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।

6 पुख्ता अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

7 पूर्णांग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

8 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर पॉवर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।

9 पेय एवम् सेवर एवम् न पिलएबल सेवरी आदेश का अनुपालन करना होगा, तथा सेवर सेस से सम्बन्धित शुल्क जमा करके प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

10 स्थल पर सामाजिक क्रय से विकासांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं समतारीत सुविधाओं का विकास करना होगा।

11 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट्ट लगाना होगा।

12 संशोधित भवन मानचित्र हेतु अग्निशमन विभाग की संशोधित अनापत्ति शीघ्र प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी

13 मुख्य नाला एवं उप्त निर्माधन, उत्थान लक्षणक द्वारा गार्ड जाने पर अतिरिक्त जमा कराना होगा।

14 यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायगा।

भवन मानचित्र उक्त पत्र प्रेषण की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगा। इस अवधि में कार्य प्रारम्भ न होने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आवासीय विकास परिषद, लखनऊ
स्वीकृत
पत्रांक संख्या- 4216/3-
दिनांक 21-ct-2017-
स्वीकृत भवन वैध दिनांक 20-07-2022-
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SUBMISSION DRAWING

NORTH:

NOTE:

DRAWING TITLE:

TOWER-1 & 2
ELEVATION-A

SCALE	1:100	DATE	27-09-16
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT & DEVELOPER:

M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.
(Lead Member of Consortium of ANS Constructions Ltd.)
Regd. Office: 308, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400021.

DESIGN ARCHITECT:

SIKKA ASSOCIATES ARCHITECTS

PLUMBING & FIRE:

M/s. Techno Engineering Consultants
Pocket-A, 30 D, Siddartha Extension
New Delhi - 110014
Phone No. - 91-11-26344568

ARCHITECT:	OWNER:
AR. SAURABH GUPTA COA Reg No.-CA/2008/42317	(अनवर रिज़वी) निदेशक मै० एन०एस० कंस्ट्रक्शन्स लि०

D NO.	GH-4-06	S NO.	06/13